

परिषद की वृन्दावन योजना-3, लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 'अरावली एन्क्लेव' के विभिन्न फ्लैटों के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

परिषद की वृन्दावन योजना-3, रायबरेली रोड, लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विभिन्न फ्लैटों के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :-

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration of Flats/Houses" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन-लाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :-

- उपरोक्तनुसार आन-लाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Flats/Houses "
- ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
- ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and select property.
- ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as Netbanking/Debit/Credit Card.
- ✓ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest HDFC branch.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ/प्रमाणपत्र/प्रपत्र दर्ज/अपलोड की जायेगी।
- आन-लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आईडी प्रमाण, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र, ई-चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायें :-

वृन्दावन योजना-3, लखनऊ के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता-

"सम्पत्ति प्रबंधक

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय-वृन्दावन योजना,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

प्रथम तल, आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना,

रायबरेली रोड, लखनऊ (उ० प्र०)"

पिनकोड-226025
